भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4257
दिनांक 19 अगस्त, 2025/ 28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैदी

†4257. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 30 जून, 2025 की स्थिति तक जेलों में विचाराधीन कैदियों के रूप में बंद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ख) उक्त तिथि की जेलों में दोषसिद्ध कैदियों के रूप में बंद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में कुल विचाराधीन कैदियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विचाराधीन कैदियों का हिस्सा (प्रतिशत में) कितना हैं;

(घ) क्या वर्ष 2023 से अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभियुक्तों के लिए जांच, आरोप-पत्र दाखिल करने और मुकदमे की समाप्ति में देरी की जांच के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस हेतु अदालतों को फास्ट-ट्रैक करने, कानूनी सहायता का विस्तार करने, आवधिक जमानत समीक्षा करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सुनवाई-पूर्व लंबी अवधि की हिरासत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे रिपोर्ट किए गए जेल आँकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित डेटा वर्ष 2022 का है। 31.12.2022 तक देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विचाराधीन कैदियों की संख्या और कुल विचाराधीन आबादी के संबंध में उनका प्रतिशत, अनुलग्नक-I में दिया गया है। 31.12.2022 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित दोषियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 4257, दिनांक 19.08.2025

(घ): 'पुलिस', 'लोक व्यवस्था', 'कारागार' और 'उनमें बंद व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत राज्य-सूची के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विचाराधीन कैदियों सहित सभी कैदियों के लिए जाँच, आरोप-पत्र दाखिल करने और मुकदमे की समाप्ति में देरी के मुद्दों की जाँच हेतु उचित अध्ययन करने के लिए सक्षम हैं।

(ङ): जेलों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है क्योंकि "कारागार/उनमें बंद व्यक्ति" एक राज्य-सूची का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समय-समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने, कानूनी सहायता का विस्तार करने और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सुनवाई-पूर्व लंबी अवधि की हिरासत को कम करने के लिए ज़मानत समीक्षा के मुद्दों की आवश्यकता का आकलन करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ज़िम्मेदारी है। हालाँकि, गृह मंत्रालय समय-समय पर जारी विभिन्न एडवाइजरीस के रूप में दिशानिर्देश जारी करके और गरीब कैदियों को सहायता जैसी केंद्रीय योजनाएँ शुरू करके इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कैदियों सहित सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए देश की जेलों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए हैं। जेलों में ऐसे क्लीनिक स्थापित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कैदी बिना प्रतिनिधित्व के न रहे और कैदियों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी जेलों में जागरूकता शिविर आयोजित करता है ताकि मुफ़्त कानूनी सहायता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के कानूनी अधिकारों, जिनमें ज़मानत का अधिकार भी शामिल है, के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। मुक़दमे की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए अदालत परिसरों और जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुक़दमों की सुनवाई भी शुरू की गई है।

*****

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 4257, दिनांक 19.08.2025</u>

अनुलग्नक-I

31.12.2022 तक देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विचाराधीन कैदियों की संख्या और कुल विचाराधीन आबादी के संबंध में उनका प्रतिशत

क्रम संख्या.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल विचाराधीन कैदी	अनुसूचित जाति के विचाराधीन कैदी	अनुसूचित जाति के विचाराधीन कैदियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के विचाराधीन कैदी	अनुसूचित जनजाति के विचाराधीन कैदियों का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	5123	1478	28.85%	1186	23.15%
2	अरुणाचल प्रदेश	184	0	0.00%	122	66.30%
3	असम	8608	882	10.25%	1144	13.29%
4	बिहार	57537	11826	20.55%	2046	3.56%
5	छत्तीसगढ़	12820	2292	17.88%	4044	31.54%
6	गोवा	572	67	11.71%	84	14.69%
7	गुजरात	11129	1381	12.41%	1541	13.85%
8	हरियाणा	19279	5004	25.96%	997	5.17%
9	हिमाचल प्रदेश	1926	562	29.18%	55	2.86%
10	झारखंड	14786	2572	17.39%	4056	27.43%
11	कर्नाटक	12605	2711	21.51%	1135	9.00%
12	केरल	5610	960	17.11%	194	3.46%
13	मध्य प्रदेश	26877	5661	21.06%	5706	21.23%
14	महाराष्ट्र ##	32883	-	-	-	-
15	मणिपुर	592	1	0.17%	200	33.78%
16	मेघालय	829	101	12.18%	631	76.12%
17	मिजोरम	1049	31	2.96%	1009	96.19%
18	नागालैंड	302	54	17.88%	214	70.86%
19	ओडिशा	16058	4907	30.56%	3741	23.30%
20	पंजाब	24198	8306	34.33%	1004	4.15%
21	राजस्थान	19233	4171	21.69%	2934	15.26%
22	सिक्किम	268	44	16.42%	60	22.39%
23	तमिलनाडु	11564	3552	30.72%	237	2.05%
24	तेलंगाना	4221	901	21.35%	629	14.90%
25	त्रिपुरा	735	139	18.91%	163	22.18%
26	उत्तर प्रदेश	94131	24693	26.23%	5209	5.53%
27	उत्तराखंड	4722	1388	29.39%	220	4.66%
28	पश्चिम बंगाल	23706	2911	12.28%	946	3.99%
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	173	0	0.00%	14	8.09%
30	चंडीगढ़	832	251	30.17%	1	0.12%
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव	162	6	3.70%	50	30.86%
32	दिल्ली	16759	3698	22.07%	294	1.75%
33	जम्मू और कश्मीर	4587	335	7.30%	335	7.30%
34	लद्दाख	26	0	0.00%	14	53.85%
35	लक्षद्वीप	6	0	0.00%	6	100.00%
36	पुदुचेरी	210	66	31.43%	0	0.00%
	कुल	**434302**	**90951**	20.94%	**40221**	9.26%

- महाराष्ट्र ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कैदियों की अलग से सूची उपलब्ध नहीं कराई है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 4257, दिनांक 19.08.2025

अनुलग्नक-II

31.12.2022 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित दोषियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्रम संख्या.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति के दोषी	अनुसूचित जनजाति के दोषी
1	आंध्र प्रदेश	695	426
2	अरुणाचल प्रदेश	1	85
3	असम	353	469
4	बिहार	1085	279
5	छत्तीसगढ़	1447	2542
6	गोवा	9	7
7	गुजरात	623	939
8	हरियाणा	1470	314
9	हिमाचल प्रदेश	296	26
10	झारखंड	731	1633
11	कर्नाटक	675	454
12	केरल	472	125
13	मध्य प्रदेश	4631	4910
14	महाराष्ट्र ##	-	-
15	मणिपुर	0	16
16	मेघालय	23	255
17	मिजोरम	10	518
18	नागालैंड	29	106
19	ओडिशा	722	1011
20	पंजाब	2515	320
21	राजस्थान	1366	888
22	सिक्किम	11	35
23	तमिलनाडु	1566	144
24	तेलंगाना	365	252
25	त्रिपुरा	91	133
26	उत्तर प्रदेश	5943	1567
27	उत्तराखंड	519	97
28	पश्चिम बंगाल	708	302
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1
30	चंडीगढ़	137	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव	1	0
32	दिल्ली	428	40
33	जम्मू और कश्मीर	8	15
34	लद्दाख	0	1
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुदुचेरी	22	0
	कुल	**26952**	**17910**

- महाराष्ट्र ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कैदियों की अलग से सूची उपलब्ध नहीं कराई है।

*****